झाँसी नगर निगम, झाँसी

स्वच्छ झाँसी हरित झाँसी

ई– निविदा सूचना
(अल्पकालिक निविदा सूचना)

झाँसी नगर निगम, झाँसी शीत लहर बचाव हेतु समस्त 60 वार्डों के चौराहों एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर अलाव व्यवस्था में जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति ली जानी है, जिस हेतु ई–निविदा पद्धति से ई–टेण्डरिंग की बेवसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित शेड्यूल के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदने की तिथि	11.11.2025 3:00 PM	27.11.2025 3:00 PM
2	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय		27.11.2025 3:00 PM
3	बिड खोलने की तिथि एवं समय	27.11.2025 3:30 PM	

1. कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
2. निविदादाता को http://etender.up.nic.in ई–टेण्डर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं है।
3. ई– निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
4. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।
5. प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा– नगर निगम, झाँसी खाता सं0 346102011000102 आई.एफ.एस.सी. नं0 UBIN0563102 में जमा करना होगा तथा प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अपर नगर आयुक्त नगर आयुक्त

पत्रांक :– 64/नजारत वि0/न0नि0/2025–26 दिनांक :– 04.11.2025

प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक दैनिक अमर उजाला/हिन्दुस्तान झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना का प्रकाशन अपने सम्मानीय समाचार पत्र के आगामी अंक के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर 08 के फांट में शासकीय दरों पर एक बार के लिये प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्टकरें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करायें।
3. प्रभारी नजारत नगर निगम झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना पट पर चस्पा करायें।
4. पी.ए. नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु ।
5. आई0टी0 एक्सपर्ट, नगर निगम, झांसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

अपर नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

झाँसी नगर निगम, झाँसी

स्वच्छ झाँसी — हरित झाँसी

ई– निविदा सूचना
(अल्पकालिक निविदा सूचना)

झाँसी नगर निगम, झाँसी शीत लहर बचाव हेतु समस्त 60 वार्डों के चौराहों एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर अलाव व्यवस्था में जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति ली जानी है, जिस हेतु ई–निविदा पद्धति से ई–टेण्डरिंग की बेवसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित शेड्यूल के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने / डाउनलोड / खरीदने की तिथि	11.11.2025 3:00 PM	27.11.2025 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय		27.11.2025 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	27.11.2025 3:30 PM	

कार्य का विवरण

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रतिभूति की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1-	वर्ष 2025–26 हेतु झाँसी नगर निगम सीमान्तर्गत शीत लहर बचाव हेतु समस्त 60 वार्डों के चौराहों एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर अलाव व्यवस्था हेतु जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति का कार्य	रू0 50000.00	रू0 3000+18% GST

नोट –

1. कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
2. निविदादाता को http;//etender.up.nic.in ई–टेण्डर में पंजीकृत होना है।
3. ई–टेण्डरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भांति मैनुअल मांगे जाने का अधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी में निहित होगा।
4. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
5. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
6. जी0एस0टी0 के नियमों / शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।
7. ई– निविदा में कोई भी संशोधन / परिमार्जन / परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
8. ठेकेदार / फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी में निहित होगा।
9. निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार सबमिट की गयी निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।
10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति / ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
12. निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में नजारत विभाग कार्यालय में देखी जा सकती है।
13. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी मे निहित होगा।
14. निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक–पृथक देना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता को शासन / निदेशालय / नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
16. प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा– नगर निगम, झाँसी खाता सं0 346102011000102 आई.एफ.एस.सी. नं0 UBIN0563102 में जमा करना होगा तथा प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. निविदा की शर्तों में शिथिलता करने का अधिकार नगर निगम, झाँसी में निहित होगा। नगर आयुक्त द्वारा लिये गये कोई भी निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
18. निविदा शतों के अनुसार निविदा के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना होगें। अपूर्ण निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा दरें स्वीकार एवं अस्वीकार करने तथा निविदा के सम्बन्ध में निर्णय के समस्त अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगें। अपूर्ण अथवा मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
19. आपूर्ति की जाने वाली जलाऊ लकड़ी का मानक 80 प्रतिशत मोटी परन्तु 02 फुट से अधिक व 1 फुट से कम नहीं होनी चाहिये, 20 प्रतिशत पतली लकड़ी 4 से 6 इंच मोटी होनी चाहिये। गीली / हरी लकड़ी तथा न जलने योग्य लकड़ी की आपूर्ति कदपि स्वीकार नहीं होगी।
20. सफल निविदादाता को आपूर्ति नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी / अधीनस्थ द्वारा माग के अनुरूप स्वीकृत निर्धारित दर पर करनी होगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्ति अबिलम्ब करना अनिवार्य होगा।

आपूर्ति हेतु लकड़ी हरी, गीली अथवा न जलने योग्य पाये जाने पर एवं समय सीमा के भीतर न होने पर आपूर्तिकर्ता की जमा धरोहर राशि जब्त कर जी जायेगी, तथा आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

21. यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकरी अनुबन्ध गणन के पश्चात होती है, तो अनुबन्ध निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुए सम्बन्धित को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
22. जिन ठेकेदारों को इस वित्तीय वर्ष के लिए डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है, वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते है।

<u>तकनीकी बिड हेतु अनिवार्य अभिलेख</u>

1. निविदादाता के पास स्वयं की जलाऊ लकड़ी विक्रय की दुकान होगी तथा फर्म/दुकान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
2. निविदादाता को वन विभाग से पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा व पंजीयन नं0 निविदा प्रपत्र में भरना होगा।
3. निविदादाता को अद्यतन ITR की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता के पास श्रम विभाग का पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति व जी.एस.टी. नं0 निविदा प्रपत्र में भरना होगा।
7. निविदादाता को समान प्रकृति के कार्य का तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादता को जिलाधिकारी या समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा स्व प्रमाणित पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. अद्यतन बैंलेंशशीट सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रति (UDIN Number सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार अनुमोदन कर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही निविदा की तकनीकी/वित्तीय बिड की जांच हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

1. अपर नगर आयुक्त (प्रथम)
2. मुख्य नगर लेखा परीक्षक
3. लेखाधिकारी
4. श्रीमती नीना सिंह, अधिशाषी अभियंता
5. प्रभारी नजारत
6. श्री देवीलाल शर्मा, अवर अभियंता

<u>अपर नगर आयुक्त</u> <u>नगर आयुक्त</u>

पत्रांक :– 64/नजारत वि0/न0नि0/2025–26 दिनांक :–04/11/2025

प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक दैनिक <u>अमर उजाला/दैनिक हिन्दुस्तान</u>, झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना का प्रकाशन अपने सम्मानीय समाचार पत्र के आगामी अंक के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर 08 के फांट में शासकीय दरों पर एक बार के लिये प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्टकरें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करायें।
3. प्रभारी नजारत नगर निगम झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना पट पर चस्पा करायें।
4. पी.ए. नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु ।
5. आई0टी0 एक्सपर्ट, नगर निगम, झांसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

अपर नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी।